दैनिक भास्कर
बिलासपुर 27-08-2025

कॉलेजियम के फैसले पर जस्टिस नागरत्ना असहमत

भास्कर न्यूज़ |नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट की जज बी वी नागरत्ना ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की कॉलेजियम की सिफारिश पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति न्यायपालिका के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता में 25 अगस्त को हुई कॉलेजियम की बैठक में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस पंचोली के नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर केंद्र को भेजे गए। इस पांच सदस्यीय कॉलेजियम में जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, जे के माहेश्वरी और जस्टिस नागरत्ना शामिल थे। जस्टिस पंचोली अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं तो वे अक्टूबर 2031 में सीजेआई बन सकते हैं, जब जस्टिस जॉयमल्या बागची रिटायर होंगे।